



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23102020-222689
CG-DL-E-23102020-222689

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड(ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3348]
No. 3348]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 23, 2020/कार्तिक 1, 1942
NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 23, 2020/KARTIKA 1, 1942

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 अक्टूबर, 2020

सं. 102/2020- सीमाशुल्क (गै.टै.)

का.आ. 3777(अ).—सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 28 डक की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड, एतद्वारा-

- (i) आयुक्त (कस्टम्स अथॉरिटी फार अड्वान्स रुलिंग), दिल्ली; और
- (ii) आयुक्त (कस्टम्स अथॉरिटी फार अड्वान्स रुलिंग), मुंबई,

को क्रमशः दिल्ली और मुंबई में कस्टम्स अथॉरिटी फार अड्वान्स रुलिंग के रूप में काम करने के लिए नियुक्त करता है।

2. यह अधिसूचना अधिसूचित की जाने वाली तिथि से लागू होगी।

[फा. सं. 450/110/2020- सीमाशुल्क IV]

आनंद राधाकृष्णन, उप सचिव (सीमाशुल्क)

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 23rd October, 2020

No. 102 /2020-Customs

S.O. 3777 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 28EA of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Indirect Tax and Customs hereby appoints-

- (i) Commissioner (Customs Authority for Advance Rulings), Delhi; and
- (ii) Commissioner (Customs Authority for Advance Rulings), Mumbai,

to function as Customs Authority for Advance Rulings, at Delhi and Mumbai, respectively.

2. This notification shall come into force with effect from a date to be notified.

[F. No. 450/110/2020-Cus IV]

ANANTH RATHAKRISHNAN, Dy. Secy. (Customs)